संख्या-10/2015/605/53-15-2(52)/14

प्रेषक,

एस0 राजलिंगम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊः दिनांक 13 मार्च, 2015

विषय-वित्तीय वर्ष 2014-15 में सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (राज्य सेक्टर) अनुदान संख्या-16

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-635/दुग्ध-4/नियो0/सू.प्रो./(157)/2014-15, दिनांक-04.03.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेरठ एवं नोएडा डेरी की मानीटरिंग हेतु इन इकाईयों में सी.सी. कैमरा की स्थापना तथा मुख्यालय स्तर पर सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजना चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-2554/53-14-2(52)/14, दिनांक-15 दिसम्बर, 2014 द्वारा जारी स्वीकृत की जा चुकी है। अतः श्री राज्यपाल कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में उक्त प्राविधानित धनराशि में अवशेष धनराशि रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 15.86 लाख (रू0 पन्द्रह लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि **संलग्नक-क** के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु है। धनराशि का व्यय जिन कार्यो/मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में व्यय की जायगी। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(2) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(3) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(5) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही-खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक **'2404-डेरी विकास-आयोजनागत-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम-0305-सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण-27-सब्सिडी''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-बी-1/2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22 जुलाई, 2014 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।

संख्या-605(1)/53-2015, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार-लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
9- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।
10- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभार, उत्तर प्रदेश।
13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक 'क'

शासनादेश संख्य"-605/53-15-2(52)/14, दिनांक- 11 मार्च, 2015 का संलग्नक।

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	दर	धनराशि (हजार रू0 में)
अ	**इकाई स्तर पर**			
1.	इन्टरनेट कनेक्शन जिसकी पिक्चर अपलोर्डिग गति न्यूनतम **04 MBPS** होनी चाहिए।	01	3000.00	3.00
2.	एच0डी0सी0सी0 कैमरा	24	5000.00	120.00
3.	24 पोर्ट को डिजिटल विडियो रिकार्डर	01	30,000.00	30.00
4.	हार्ड डिस्क क्षमता न्यूनतम 02 टेराबाइट	01	10000.00	10.00
5.	एसेसरीज	1 लाट	25000.00	25.00
	योग (प्रति इकाई)			188.00
	कुल योग (2 इकाईयों हेतु)			**376.00**
ब	**मुख्यालय स्तर पर**			
1	इन्टरनेट कनेक्शन जिसकी पिक्चर अपलोर्डिग गति न्यूनतम **08 MBPS** होनी चाहिए।	01	1000000.00	1000.00
2	डिस्प्ले यूनिट (84 इंच)	01	160000.00	160.00
3.	डेस्क टाप कम्प्यूटर **(intel i-5 processor 8GB RAM रैम एवं 2 GB क्षमता का ग्राफिक कार्ड)** सहित।	01	50000.00	50.00
	योग-			**1210.00**
	महायोग-			**1586.00**

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in